

ज ए 11 ज 202

Sec. 6(C) Tol. Mark 8-11-97

REGISTERED NO. D. L.—33001/97

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8, 1997/कार्तिक 17, 1919



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

Recd 24-11-97

MATTER-5443

प्रतिपक्षर से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8, 1997/कार्तिक 17, 1919  
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8, 1997/KARTIKA 17, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिक्षा और पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1997

कां.सं. 2822.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम) सं. 25 की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पोलिटिकल (ए) विभाग, दिसपुर अधिसूचना सं. पी०एल०ए० 69/96/16 तारीख 18 मार्च, 1997 द्वारा असम सरकार की सहमति से, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का अधिनियम सं. 37) की धारा 10/13 और आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का अधि-

नियम सं. 54) की धारा 25(1क)/27 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 302/396/326/427 के अधीन दंडनीय अपराधों और असम के नलबारी जिला में मुकलमुआ पर 30 दिसम्बर, 95 को नलबारी के, डा० भूमिधर बर्मन, मंत्री पर आक्रमण के संबंध में पुलिस थाना मुकलमुआ में रजिस्ट्रीकृत अपराध सं. 165/95 के अन्वेषण के लिए तथा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत होने वाले या वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अन्य अपराध/अपराधों और ऊपर वर्णित एक या अधिक अपराधों के संबंध में या उनसे संशक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण असम राज्य पर करती है।

[सं. 228/26/96-ए०वी०डी०-II]

हरि सिंह, अव्वर सचिव

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1997

का. आ. 2839.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962(1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1091, तारीख 27 मार्च, 1997 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 26 अप्रैल, 1997 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विलगंगों से मुक्त भारत ओमान रिफाईनरी लिमिटेड में निहित होगा।

तालुका: मातर		अनुसूची	राज्य: गुजरात		
गांव	सर्वेक्षण सं./ खंड सं.	जिला: खेडा	क्षेत्र		
(1)	(2)		हेक्टर आरे	सेन्टीआरे	
			(3)	(4)	(5)
असामली	509 ✓		✓0	24	90 ✓
	496 ✓		✓0	44	37 ✓
	492 ✓		✓0	52	51 ✓
	491 ✓		✓0	79	80 ✓
	486 ✓		✓0	60	94 ✓
	487/2 ✓		✓0	02	28 ✓
	485 ✓		✓0	29	34 ✓
	484/2 ✓		✓0	08	23 ✓
	473 ✓		✓0	04	00 ✓
	484/1 ✓		✓0	12	04 ✓
	476 ✓		✓0	24	95 ✓
	474 ✓		✓0	03	61 ✓
	475 ✓		✓0	33	00 ✓
	454 ✓		✓0	41	25 ✓
	455 ✓		✓0	30	18 ✓
	457 ✓		✓0	00	72 ✓
	453 ✓		✓0	26	25 ✓
	452 ✓		✓0	25	80 ✓
	451 ✓		✓0	57	57 ✓
	450 ✓		✓0	02	20 ✓
नधमपुर	163 ✓		✓0	03	32 ✓
	162 ✓		✓0	46	37 ✓
	161/1 ✓		✓0	23	71 ✓
	161/2 ✓		✓0	01	35 ✓
	165 ✓		✓0	19	48 ✓
	160/1 ✓		✓0	00	52 ✓
	159 ✓		✓0	35	31 ✓
	158 ✓		✓0	40	17 ✓
	154/ए ✓		✓0	04	25 ✓
	155 ✓		✓0	72	56 ✓
	152 ✓		✓0	38	98 ✓
	151 ✓		✓0	02	21 ✓
बरोडा	348 ✓		0	02	61 ✓
	336 ✓		0	13	14 ✓
	335 ✓		0	14	40 ✓
	334 ✓		0	20	57 ✓
	333 ✓		0	18	19 ✓

(1)	(2)	F.N.T.U. 600	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	332		✓0	14	48	✓694	✓0	0	19	63
खरेंटी	✓890		✓0	22	52	✓678	✓0	0	29	80
✓	✓889		✓0	27	82	✓677	✓0	0	25	93
	✓888		✓0	37	95	✓601	✓0	0	04	03
	✓893		✓0	09	45	✓602/1	✓0	0	02	95
	✓894		✓0	14	77	✓603	✓0	0	11	40
	✓898		✓0	01	95	✓605	✓0	0	02	10
	✓886	0-06-04	✓0	40	21	✓612	✓0	0	11	63
	✓901		✓0	29	45	✓611	✓0	0	06	82
	✓885		✓0	01	40	✓622	✓0	0	05	13
	✓902		✓0	23	10	✓582	✓0	0	05	44
	✓883		✓0	77	82	✓583	✓0	0	10	11
	✓884		✓0	02	37	✓584	✓0	0	12	90
	✓881		✓0	25	73	✓585	✓0	0	01	75
	✓874		✓0	28	60	✓586	✓0	0	03	53
	✓871		✓0	20	40	✓587	✓0	0	05	26
	✓870		✓0	17	70	✓406	✓0	0	45	74
	✓869		✓0	23	10	✓414	✓0	0	03	92
	✓868		✓0	54	52	✓405	✓0	0	32	39
	✓836		✓0	14	10	✓404	✓0	0	06	20
	✓835/1		✓0	24	75	✓380	✓0	0	24	05
	✓835/2		✓0	01	37	✓402	✓0	0	25	75
	✓741/1		✓0	26	32	✓401	✓0	0	24	16
	✓834/2		✓0	05	00	✓382	✓0	0	33	74
	✓742		✓0	09	30	✓388	✓0	0	32	20
	748		✓0	29	41	✓387	✓0	0	19	80
	✓749		✓0	00	38	✓239	✓0	0	10	35
	✓768		✓0	17	35	✓238	✓0	0	08	70
	✓767		✓0	02	34	✓237	✓0	0	27	54
	✓766		✓0	39	00	✓236	✓0	0	31	10
	✓770		✓0	00	88	✓185	✓0	0	17	75
	✓765		✓0	12	60	✓184	✓0	0	27	12
	✓764		✓0	04	03	✓181	✓0	0	27	93
	✓771		✓0	05	12	✓180	✓0	0	32	25
	✓772		✓0	10	39	✓172	✓0	0	00	45
	✓790		✓0	32	49	✓173	✓0	0	29	88
	✓788		✓0	36	90	✓177	✓0	0	10	64
	✓783		✓0	15	59	✓178	✓0	0	03	57
	✓784		✓0	16	57	✓176	✓0	0	28	24
	✓785		✓0	26	90	✓144	✓0	0	22	72
	693		✓0	27	90	✓145	✓0	0	00	10

पुनाज  
✓/✓

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 8, 1997/कार्तिक 17, 1919

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	✓ 143 ✓	✓ 0	16	10 ✓			✓ 0	14	40 ✓
	✓ 179/2 ✓	✓ 0	02	22 ✓		✓ 179 ✓	✓ 0	15	07 ✓
	✓ 142 ✓	✓ 0	21	45 ✓		✓ 175 ✓	✓ 0	09	87 ✓
	✓ 179/3 ✓	✓ 0	23	85 ✓		✓ 176 ✓	✓ 0	28	35 ✓
	✓ 141 ✓	✓ 0	28	50 ✓		✓ 500 ✓	✓ 0	08	75 ✓
	✓ 148 ✓	✓ 0	34	55 ✓		✓ 502 ✓	✓ 0	21	68 ✓
	✓ 381 ✓	✓ 0	01	88 ✓		✓ 497 ✓	✓ 0	05	65 ✓
	असलाली ✓ 82 ✓	✓ 0	45	80 ✓		✓ 2 ✓	✓ 0	11	75 ✓
	✓ 88 ✓	✓ 0	22	69 ✓		✓ 496/ए ✓	✓ 0	08	56 ✓
	✓ 90 ✓	✓ 0	13	32 ✓		✓ 495 ✓	✓ 0	19	28 ✓
	✓ 89 ✓	✓ 0	22	30 ✓		✓ 493 ✓	✓ 0	18	90 ✓
	✓ 111 ✓	✓ 0	03	04 ✓		✓ 492 ✓	✓ 0	14	10 ✓
	✓ 112 ✓	✓ 0	01	43 ✓		✓ 490 ✓	✓ 0	30	82 ✓
	✓ 113 ✓	✓ 0	01	65 ✓		✓ 489 ✓	✓ 0	00	20 ✓
	✓ 114 ✓	✓ 0	00	45 ✓		✓ 487 ✓	✓ 0	16	20 ✓
	✓ 110 ✓	✓ 0	02	58 ✓	ब्रान्जा	53 ✓	✓ 0	13	80 ✓
	✓ 127-बी ✓	✓ 0	25	62 ✓	✓ 50 ✓	50 ✓	✓ 0	14	10 ✓
	✓ 128 ✓	✓ 0	17	64 ✓	9127	49 ✓	✓ 0	13	20 ✓
	✓ 116 ✓	✓ 0	00	42 ✓	पु. 21	48 ✓	✓ 0	24	60 ✓
	✓ 307 ✓	✓ 0	02	66 ✓	के.	47 ✓	✓ 0	17	70 ✓
	✓ 135 ✓	✓ 0	08	64 ✓		61 ✓	✓ 0	30	35 ✓
	✓ 134 ✓	✓ 0	09	00 ✓		62 ✓	✓ 0	00	55 ✓
	✓ 129 ✓	✓ 0	05	58 ✓		63 ✓	✓ 0	12	42 ✓
	✓ 109 ✓	✓ 0	10	81 ✓		77 ✓	✓ 0	09	75 ✓
	✓ 131 ✓	✓ 0	10	64 ✓		80 ✓	✓ 0	24	90 ✓
	✓ 290 ✓	✓ 0	16	17 ✓		82 ✓	✓ 0	33	75 ✓
	✓ 289 ✓	✓ 0	10	47 ✓		83 ✓	✓ 0	09	75 ✓
	✓ 288 ✓	✓ 0	04	65 ✓		86 ✓	✓ 0	00	42 ✓
	✓ 287 ✓	✓ 0	11	40 ✓		85 ✓	✓ 0	48	75 ✓
	✓ 286/ए ✓	✓ 0	15	30 ✓	मछीयेल	✓ 171 ✓	✓ 0	00	40 ✓
	✓ 286/बी ✓	✓ 0	-	-	✓ 170 ✓	✓ 170 ✓	✓ 0	05	77 ✓
	✓ 285 ✓	✓ 0	05	49 ✓	✓ 169 ✓	✓ 169 ✓	✓ 0	10	45 ✓
	✓ 192 ✓	✓ 0	17	41 ✓	✓ 168 ✓	✓ 168 ✓	✓ 0	12	09 ✓
	✓ 194 ✓	✓ 0	07	15 ✓	✓ 167 ✓	✓ 167 ✓	✓ 0	04	46 ✓
	✓ 185 ✓	✓ 0	13	08 ✓	✓ 166 ✓	✓ 166 ✓	✓ 0	06	60 ✓
	✓ 195 ✓	✓ 0	11	68 ✓	✓ 164 ✓	✓ 164 ✓	✓ 0	19	93 ✓
	✓ 186 ✓	✓ 0	00	10 ✓	✓ 155 ✓	✓ 155 ✓	✓ 0	12	76 ✓
	✓ 187 ✓	✓ 0	02	30 ✓	✓ 156 ✓	✓ 156 ✓	✓ 0	01	53 ✓
	✓ 183 ✓	✓ 0	11	70 ✓	✓ 153 ✓	✓ 153 ✓	✓ 0	12	82 ✓
	✓ 180 ✓	✓ 0	09	30 ✓	✓ 150 ✓	✓ 150 ✓	✓ 0	02	07 ✓
	✓ 181 ✓	✓ 0	01	65 ✓			✓ 0		

F.N. 14-607

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 8, 1997/KARTIKA 17, 1919

[PART II - SEC. 3(ii)]

5446

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
✓149 ✓	✓0	18	62	✓1183 ✓	✓0	10	07		
✓148 ✓	✓0	12	63	✓1182 ✓	✓0	02	14		
✓147 ✓	✓0	11	10	✓1172 ✓	✓0	01	11		
✓146 ✓	✓0	00	35	✓497 ✓	✓0	11	46		
✓113 ✓	✓0	58	50	✓498 ✓	✓0	12	90		
✓112 ✓	✓0	09	90	✓499 ✓	✓0	04	84		
✓111 ✓	✓0	(19	20)	✓496 ✓	✓0	00	60		
✓110 ✓	✓0	18	60	✓501 ✓	✓0	03	85		
✓88 ✓	✓0	18	60	✓502 ✓	✓0	01	25		
✓83 ✓	✓0	00	10	✓500 ✓	✓0	06	87		
✓80 ✓	✓0	00	99	✓507 ✓	✓0	24	00		
✓87 ✓	✓0	18	30	✓506 ✓	✓0	12			
✓84 ✓	✓0	02	14	✓505 ✓	✓0	19			
✓81 ✓	✓0	28	65	✓510 ✓	✓0	13	28		
✓67 ✓	✓0	12	00	✓511 ✓	✓0	07	42		
✓66 ✓	✓0	00	10	✓512 ✓	✓0	00	99		
✓56 ✓	✓0	40	80	✓513 ✓	✓0	34	50		
✓68 ✓	✓0	01	30	✓515 ✓	✓0	15	40		
✓55 ✓	✓0	06	90	✓516 ✓	✓0	20	40		
✓54 ✓	✓0	06	90	✓520 ✓	✓0	32	70		
✓53 ✓	✓0	07	74	✓521 ✓	✓0	28	50		
✓52 ✓	✓0	07	14	✓527 ✓	✓0	15	90		
✓51 ✓	✓0	00	65	✓528	✓0	11	23		
✓48 ✓	✓0	00	42	✓529 ✓	✓0	05	81		
✓50 ✓	✓0	29	31	✓545 ✓	✓0	00	30		
✓49 ✓	✓0	24	30	✓543 ✓	✓0	06	19		
✓1204 ✓	✓0	05	55	✓546 ✓	✓0	29			
✓1205 ✓	✓0	00	72	✓561 ✓	✓0	22	50		
✓1209 ✓	✓0	07	54	✓563 ✓	✓0	58	50		
✓1210 ✓	✓0	02	70	✓562 ✓	✓0	01	10		
✓1208 ✓	✓0	11	13	✓567 ✓	✓0	44	40		
✓1206 ✓	✓0	09	45	✓625 ✓	✓0	12	55		
✓1207 ✓	✓0	08	21	✓626 ✓	✓0	03	71		
✓1196 ✓	✓0	04	42	खांधली ✓11 ✓	✓0	02	00		
✓1197 ✓	✓0	06	27	✓12 ✓	✓0	00	85		
✓1195 ✓	✓0	03	01	✓13 ✓	✓0	16	77		
✓1192 ✓	✓0	17	20	✓14 ✓	✓0	12	60		
✓1187 ✓	✓0	02	25	✓15 ✓	✓0	12	30		
✓1188 ✓	✓0	09	61	✓19 ✓	✓0	28	9		
✓1184 ✓	✓0	05	75	✓20 ✓	✓0	(10	7		
✓1185 ✓	✓0	00	10						

00 08 25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	✓21 ✓	✓0	00	90 ✓		✓910 ✓	✓0	12	50
	✓265 ✓	✓0	01	62 ✓		✓920 ✓	✓0	10	41
	✓266 ✓	✓0	13	11 ✓		✓922 ✓	✓0	18	08
	✓305 ✓	✓0	60	90 ✓		✓934/1 ✓	✓0	10	75
	✓321 ✓	✓0	38	52 ✓		✓937 ✓	✓0	08	84
	✓320 ✓	✓0	03	14 ✓		✓938 ✓	✓0	15	29
	✓322 ✓	✓0	35	12 ✓		✓939 ✓	✓0	24	60
	✓322/ए ✓	✓0	01	10 ✓		✓1170/1 ✓	✓0	27	25
	✓324 ✓	✓0	17	60 ✓		✓1171 ✓	✓0	16	91
	✓334 ✓	✓0	30	74 ✓		✓1172 ✓	✓0	09	76
	✓336 ✓	10	01	75	मलियातज	✓16 ✓	✓0	30	90
	✓333 ✓	✓0	14	17 ✓	417	✓17 ✓	✓0	20	15
	✓338 ✓	✓0	01	92 ✓		✓24 ✓	✓0	01	20
	✓339 ✓	✓0	22	60 ✓		✓26 ✓	✓0	34	50
	✓339/ए ✓	✓0	13	80 ✓		✓34 ✓	✓0	23	10
	✓342 ✓	✓0	01	10 ✓		✓36/1 ✓	✓0	29	85
	✓341 ✓	✓0	20	40 ✓		✓36/2 ✓	✓0	01	72
	✓340 ✓	✓0	06	09 ✓		✓42 ✓	✓0	11	44
	✓353 ✓	✓0	03	00 ✓		✓43 ✓	✓0	05	86
	✓354 ✓	✓0	24	37 ✓		✓46 ✓	✓0	11	55
	✓335 ✓	✓0	01	75 ✓		✓47 ✓	✓0	04	75
	✓362 ✓	✓0	00	18 ✓		✓51 ✓	✓0	04	20
	✓361 ✓	✓0	00	18 ✓		✓59 ✓	✓0	00	39
	✓355 ✓	✓0	14	53 ✓		✓50 ✓	✓0	15	25
	✓356 ✓	0	15	00 ✓		✓58 ✓	✓0	26	66
नावल	✓875 ✓	✓0	18	60		✓57 ✓	✓0	09	24
417	✓874 ✓	✓0	17	47		✓56 ✓	✓0	14	40
	✓873 ✓	✓0	01	60		✓98 ✓	✓0	09	90
	✓871 ✓	✓0	05	19		✓96 ✓	✓0	21	80
	✓882 ✓	✓0	03	57		✓87 ✓	✓0	16	25
	✓883 ✓	✓0	17	11		✓103 ✓	✓0	03	61
	✓885 ✓	✓0	12	90		✓104 ✓	✓0	16	80
	✓897 ✓	0	15	44		✓85 ✓	✓0	28	80
	✓898 ✓	✓0	05	10		✓83 ✓	✓0	07	50
	✓899 ✓	✓0	00	99		✓82 ✓	✓0	18	15
	✓896 ✓	✓0	10	12		✓81 ✓	✓0	06	97
	✓895 ✓	✓0	03	87		✓80 ✓	✓0	02	79
	✓894 ✓	✓0	08	10		✓75 ✓	✓0	02	37
	✓893 ✓	✓0	07	20		✓76 ✓	✓0	22	97
	✓909 ✓	0	23	54		✓77 ✓	✓0	11	37
	✓908 ✓	✓0	04	00	सीहोलडी	436 ✓	✓0	21	48

F N. 14-6 (i)

54-18

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 8, 1997/KARTIKA 17, 1919

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	399 ✓	✓0	47	61 ↓
	435 ✓	✓0	20	52 ↓
	401 ✓	✓0	23	40 ↓
	402 ✓	✓0	14	40 ↓
	403 ✓	✓0	01	04 ↓
	418 ✓	✓0	13	66 ↓
	417 ✓	✓0	17	34 ↓
	416 ✓	✓0	17	85 ↓
	415 ✓	✓0	03	75 ↓
	411 ✓	✓0	03	44 ↓
	412 ✓	✓0	08	49 ↓
	413 ✓	✓0	06	50 ↓
	405 ✓	✓0	00	70 ↓

the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Bharat Oman Refineries Limited.

[फा. सं. आर-31015/24/96-ओआर. II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 28th October, 1997

S.O. 2839. Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S. O. 1091 dated the 27th March 1997, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas, the copies of the said gazette notification were made available to the public on the 26th day of April, 1997;

And whereas, the Competent authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that-

Schedule				
Taluka: Matar	District: Kheda	State: Gujarat		
Village	Survey/Block Number	Area		
		Hectare	Are	Centare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Asamali	✓509 ✓	✓0	24	90 ✓
	✓496 ✓	✓0	44	37 ✓
	✓492 ✓	✓0	52	51 ✓
	✓491 ✓	✓0	79	80 ✓
	✓486 ✓	✓0	60	94 ✓
	✓487/2 ✓	✓0	02	28 ✓
	✓485 ✓	✓0	29	34 ✓
	✓484/2 ✓	✓0	08	23 ✓
	✓473 ✓	✓0	04	00 ✓
	✓484/1 ✓	✓0	12	04 ✓
	✓476 ✓	✓0	24	95 ✓
	✓474 ✓	✓0	03	61 ✓
	✓475 ✓	✓0	33	00 ✓
	✓454 ✓	✓0	41	25 ✓
	✓455 ✓	✓0	30	18 ✓
	✓457 ✓	✓0	00	72 ✓
	✓453 ✓	✓0	26	25 ✓
	✓452 ✓	✓0	25	80 ✓
	✓451 ✓	✓0	57	57 ✓
	✓450 ✓	✓0	02	20 ✓
Nadhanpur	✓163 ✓	✓0	63	32 ✓
	✓162 ✓	✓0	46	37 ✓
	✓161/1 ✓	✓0	23	71 ✓



F.N.12-A.601)

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 3, 1998/अश्विन 11, 1920  
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3, 1998/ASVINA 11, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय  
कलकत्ता, 22 जून, 1998  
सं० 4/98-99

प्रा० 1931.—जलपाईगुड़ी के प्रभार में उ.आ.आ.  
गाईगुड़ी के अधीन स.आ.आ., मुख्यालय के प्रभार  
रा दि. 01-07-1998 से समाप्त किया जाता है।  
भा. जलपाईगुड़ी प्रभार में उ.आ.आ., रेंज—  
डी के अधीन स.आ.आ., जलपाईगुड़ी मुख्यालय  
के एक नये प्रभार को एतद्वारा 01-07-1998 से  
दा जाता है।

[सं० स.आ./मुख्या./योजना/10/98-99]  
पी० के० शर्मा, मुख्य आयकर आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME  
TAX

Calcutta, the, 22nd June, 1998  
No. 4/98-99

S.O. 1931.—The charge of A.C.I.T. Headquarters Jalpai-  
guri under D.C.I.T. Range-Jalpaiguri in the charge of  
C.I.T., Jalpaiguri is hereby abolished with effect from  
01-07-1998.

A new charge of A.C.I.T., Jalpaiguri with Headquarters  
at Japaiguri under D.C.I.T., Range-Jalpaiguri in the charge  
of C.I.T., Jalpaiguri is hereby created with effect from  
01-07-1998.

[No. AC/HQ/Planning/10/98-99]

P. K. SARMA, Chief Commissioner of Income-tax

F.M.12 A.G.F.V. 2<3

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1998

का.आ. 1951.— केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962(1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ.1577 तारीख 2 जून 1997, का. आ. 1456 तारीख 14 जूलाई 1998, द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को क्रमशः 21 जून, 1997 और 25 जूलाई, 1998 को उपलब्ध करा दी गई

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विलुगंमों से मुक्त होकर भारत ओमान रिफाईनरीज़ लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

राज्य: गुजरात

जिला का नाम	तालुका का नाम	धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचनाका अनुसंधान		गांव का नाम	सर्वेक्षण सं./ खंड सं.	क्षेत्र			
		का. आ. सं.	राजपत्र की तारीख			हेक्टर	आरे	सेन्टआरे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
सुरेन्द्रनगर	वढ वाण	1456	25.07.98	बलदाना	826	0	12	38	
					746/2	0	05	85	
	लींबडी				अंकेवालीया	314/1	0	07	14
						314/2	0	00	30
						239	0	05	34
			भल्लगामडा	278 पैकी	0	08	03		

F.N. 12. A. 607

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3, 1998/ASVINA 11,1920

[PART II—SEC. 3(ii)]

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			टोकराला	89/1	0	18	00
				91/1	0	01	82
				65/1	0	41	18
				78/2	0	12	42
			जालमपुर	667/1	0	63	01
				666/2	0	52	86
				667/2	0	13	72
				667/3	0	27	27
मुली			उमरडा	661/17	0	23	21
	1577	21.06.97		418 पैकी	0	36	00
				417 पैकी	0	20	30
चोटीला	1456	25.07.98	धानगढ	208 पैकी	0	42	25
बावला			बगोदरा	35/6	0	18	67
				35/8	0	46	18
				35/11	0	30	70
धोलका			कोठ	1091	0	00	46
			सीमेज	646/ए	0	99	25
मातर			नधनपुर	154 बी	0	04	25
			खरेंटी	886	0	06	04
			ब्रान्जा	82	0	04	00
			कथोडा	197	0	03	00
			हेरन्ज	567	0	04	27
			खांधली	12	0	07	40
				322	0	04	81
				354	0	14	56
				361	0	03	69
				335	0	01	75
			लावल	876/1	0	39	60
			मलियातज	59	0	02	08

[फा. सं. आर-31015/38/98-ओ आर.॥]

के. सी. कटोच, अवर सचिव